डिस्कलेमर

आदेश संख्या 20/2022-23 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एमसीएससी/सीएच/मुम्बई/सीपी-III/2021-26

आदेश संख्या 20/ 2022-23

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स मुम्बई कार्गो सर्विस सेन्टर एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एमसीएससीएपीएल) के संबंध में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसएमआईए), मुम्बई में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए कार्गो हैंडलिंग प्रभार निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 30.08.2022

Date of Issue: 30.08.2022

ऐरा भवन

प्रशासनिक कॉम्पलेक्स

सफदरजंग हवाईअड्डा

नई दिल्ली– 110003

अध्याय 8 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

एमसीएससी के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय में दिए गए) का सार **इस प्रकार है:**

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.4.1	प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री के आधार पर और इस सामग्री के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण यह मानता है कि एमसीएससी द्वारा सीएसएमआईए, मुम्बई में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवा 'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी' है। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए **"लाइट टच अप्रोच"** के आधार पर टैरिफ निर्धारित करने का निर्णय लेता है।	9
अध्याय संख्या 3	3.6.1	प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री के आधार पर और इस सामग्री के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण तालिका 05 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित कार्गो खंड को मानने का निर्णय लेता है।	13
अध्याय संख्या 4.	4.9.1	प्राधिकरण तालिका 13 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी (कैपेक्स) के परिवर्धनों को मानने का निर्णय लेता है।	23
	4.9.2	प्राधिकरण तालिका 13 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानने का निर्णय लेता है।	31
	4.9.3	प्राधिकरण तालिका 13 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 5.	5.6.1	प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री के आधार पर और इस सामग्री के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण एमसीएससी के लिए तालिका 18 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित ओपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	38
अध्याय संख्या 6.	6.5.1	प्राधिकरण तालिका 22 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का निर्णय लेता है।	24
अध्याय संख्या 7.	7.6.1	प्राधिकरण तालिका 31 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए राजस्व से आय को मानने का निर्णय लेता है।	
	7.6.2	प्राधिकरण तालिका 31 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए लाभप्रदता को मानने का निर्णय लेता है।	
	7.6.3	प्राधिकरण तालिका 31 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित लाभ पर कर को मानने का निर्णय लेता है।	

अध्याय 12. आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स एमसीएससी को तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए संलग्नक –I के अनुसार कार्गो सेवाओं के लिए संशोधित टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(ii) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरें सभी लागू करों को छोड़कर, उच्चतम दरें हैं।

(iii) निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) संशोधित टैरिफ दरें **01 अक्तूबर, 2022 से** लगाई जाएगी।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री अविनाश राज़दान, **मुख्य कार्यपालक अधिकारी**,
मुम्बई कार्गो सर्विस सेन्टर एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड,
301-303, रंगोली कॉमप्लेक्स, एयरकार्गो कॉमप्लेक्स के सामने,
साहर रोड़, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र - 400099

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – **110 003**

2. श्री प्रकाश तुलसियानी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एमआईएएल, सीएसएमआईए, मुम्बई